श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रूड़की–247 667 (हरिद्वार–उत्तराखण्ड)

(हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) से सम्बद्ध)

प्राचार्या/असिस्टेन्ट प्रोफेसर/नैत्यिक लिपिक/पुस्तकालय लिपिक पदों हेतु चयन सूचना

आवेदन पत्र प्रेषित करते समय लिफाफें पर विभाग एवं पद का नाम अवश्य अंकित करें।

आवेदन शुल्कः प्राचार्या/असि0प्रोफेसर
अनु0जाति– रु0 800/–
अन्य सभी– रु0 1100/–
आवेदन शुल्कः नैत्यिक लिपिक/पुस्तकालय लिपिक
अनु0जाति– रु0 200/–
अन्य सभी– रु0 300/–

आवेदन भेजने का पताः
सचिव
श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रूड़की–247667

निम्नलिखित पदों के लिए अर्हता रखने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिन के अन्दर तक आमन्त्रित है।

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	आरक्षण
1.	प्राचार्या,	1 पद	37600–6700, ग्रेड–पे–10000	सामान्य जाति, महिला
2.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी	2 पद	15600–39100, ग्रेड पे–6000	एक पद अनुसूचित जाति एक पद सामान्य जाति, महिला
3.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान	1 पद	15600–39100, ग्रेड पे–6000	एक पद अनुसूचित जाति, महिला
4.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत	1 पद	15600–39100, ग्रेड पे–6000	सामान्य जाति, महिला
5.	नैत्यिक लिपिक/पुस्तकालय लिपिक (महिला)	2 पद	5200–20000, ग्रेड पे–1900	एक पद सामान्य जाति, एक पद अनुसूचित जाति,

पदो हेतु अर्हतायें

1. शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव यू0जी0सी0 एवं उत्तराखण्ड शासन की राजाज्ञाओं एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल की परिनियमावली के अनुसार होगी।

संख्याः 204 / XXIV(7)/2007-3(15)2005

प्रेषकः

एस0 राजू
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल।

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7

देहरादूनः दिनॉक 24 अप्रैल, 2007

विषयः– **उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषा तथा प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए पी–एच0डी0 एवं एम0फिल डिग्री धारकों को नेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के संबंध में यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 785/XXIV(7)/2006-3(15)/2005 दिनांक 24 अगस्त, 2006 के द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर भर्ती हेतु प्रस्तावित उत्तम शैक्षिक अभिलेख को विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में समावेशित/प्रतिस्थापित किया गया था। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर चयन के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किये गये हैं, परन्तु उत्तम शैक्षिक अभिलेख को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाता है। उत्तम शैक्षिक अभिलेख में संशोधन के संबंध में विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव पर महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदन के उपरान्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर चयन हेतु उत्तम शैक्षिक अभिलेख को निम्नवत परिभाषित करने का मुझे निदेश हुआ हैः–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवक्ता पद हेतु संशोधन के उपरान्त निम्नांकित अभ्यर्थी उत्तम शैक्षिक अभिलेख का धारक माना जायेगाः–

वर्तमान में परिभाषित उत्तम शैक्षिक अभिलेख	संशोधन के उपरान्त उत्तम शैक्षिक अभिलेख
(क) सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत होगा– "सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 55	(क) सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत होगा– "सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम

प्रतिशत प्राप्तांक परन्तु जो अभ्यर्थी पी.एच0डी0 धारक हों उनके लिये सुसंगत स्नातक उपाधि में अधिकतम 5 प्रतिशत अंको तक की सीमा की छूट दी जायेगी।"	50 प्रतिशत प्राप्तांक।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत होगा– "सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक परन्तु जो अभ्यर्थी पी.एच0डी0 उपाधि धारित करते है, के लिए सुसंगत स्नातक उपाधि में अधिकतम 5 प्रतिशत प्राप्तांक तक की सीमा की छूट अनुमन्य होगी।"	(ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत होगा– "सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विज्ञप्ति संख्या एफ1–1/2002 (पी0एस0) एग्जेम्प दिनांक 14 जून, 2006 के संदर्भ में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए पी–एच0डी0 एवं एम0फिल0 डिग्री धारकों को नेट की अनिवार्यता में छूट प्रदान करने के संबंध में यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों पर महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदन के उपरान्त अन्य आवश्यक अर्हताओं के अतिरिक्त निम्नांकित अभ्यर्थी प्रवक्ता पद पर चयन हेतु अर्ह माना जायेगा–

वर्तमान में लागू अर्हता	संशोधन के उपरान्त निर्धारित अर्हता
"NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecturer even for candidates having Ph.D. degree. However, the candidates who have completed M.Phil. degree by 31st December 1993 or have submitted Ph.D. thesis to the University in the concerned subject on or before 31st December, 2002 are exempted from appearing in the NET examination. In case such candidates fail to obtain Ph.D. degree they shall have to pass the NET examination."	"NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecturer for those with post-graduate degree. However, the candidates having Ph.D. degree in the concerned subject are exempted from NET for PG level and UG level teaching. The candidates having M. Phil degree in the concerned subject are exempted from NET for UG level teaching only."

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपू

संख्या 1748/xxiv (7)10 (1)/201

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून: दिनांक 30 सितम्बर 201

विषयः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी निर्गत विनियम 2010 के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) पद हेतु शैक्षिक अर्हताओं के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विज्ञप्ति संख्या–एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) पद हेतु विश्वविद्याल अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी विनियम 2010 जो भारत सरकार द्वारा राजपत्र दिनां 18 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित किये गये है, को प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के रूप में अंगीकार किये जाने के हे महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदन के उपरान्त तात्कालिक प्रभाव से स्वीकार किये जाने की महामहि श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षि अर्हताओं का निर्धारण निम्नांकित किया गया है:–

I. The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivaler grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level an qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibilit Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors.

II. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment an appointment of Assistant Professors in Universities / Colleges / Institutions.

Provided however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree i accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure fc Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of th minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment c Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions.

III. NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Degree Programmes in discipline for which NET/SLET/SET accredited test is not conducted.

IV. A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever gradin system is followed) will be required at the Master's level for those recruited as teachers a any level from industries and research institutions and at the entry level of Assistar Professors, Assistant Librarians, Assistant Directors of Physical Education and Sports.

V. A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Schedule Caste/Scheduled Tribe/Differently-abled (Physically and visually differently-ablec

categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.

VI. A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.

VII. Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.

3– उपर्युक्त में उत्तम शैक्षिक अभिलेख का आशय् सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांक) से है। स्नातकोत्तर स्तर पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत प्राप्तांक की सीमा तक शिथिलता प्रदान की जायेगी।

4– प्रवक्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर) पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी पूर्व में निर्गत शासनादेशों को तदनुसार संशोधित/परिवर्तित समझा जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

डॉ. अखिलेश गुप्ता
सचिव

Dr. Akhilesh Gupta
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002

University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002
OFF. : (011)23239337
(011)23236288
FAX : (011)23238858
E-mail: secy@ugc.ac.in

November,2012

NO.F.9-3/2010(PS)/Misc.

Prof. S K Singh
Vice-Chancellor
H. N. Bahuguna Garhwal University
Srinagar-246 174

20 NOV 2012

Sub: Compliance of UGC Regulations in respect of Minimum Qualification for appointment of Lecturer/Assistant Professors.

Sir,

With reference to the subject mentioned above, I am directed to inform as under:

As per the UGC Act, 1956, UGC is empowered to define the qualifications required of any person to be appointed to the teaching staff of the University/Institutions. As per UGC (Minimum Qualification required for the appointment of Career Advancement of Teachers in universities and institutions affiliated to it) (3rd Amendment) Regulation 2009 notified in the Gazette of India on 11th July, 2009, the following minimum qualification was required for appointment as Lecturer/Assistant Professor.

"NET/SLET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Lecturers in Universities/Colleges/Institutions.

Provided, however, that candidates, who are or have been awarded Ph.D. Degree in compliance of the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of Ph.D. Degree), Regulation 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET for recruitment and appointment of Assistant Professors or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions."

As per the subsequent UGC Regulations namely UGC (Minimum Qualification for appointment of teachers and other Academic staff in universities and colleges and other measure for the maintenance of the standards in Higher Education) Regulation 2010, notified in the Gazette of India on 18.9.2010. the following minimum eligibility condition is required to be fulfilled for recruitment and appointment of Assistant Professors in universities/colleges/institutions.

3.3.1 NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities/Colleges/Institutions.

Provided however, that candidates, who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professors or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions.

P.T.O

1496
27-11-12

3.3.3 NET/SLET/SET shall not be required for such Masters Degree Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET accredited test in not conducted.

Thus, as per the above Regulations notified on 11th July, 2009 and 18th September, 2010, NET/SLET/SET is the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Lecturer/Assistant Professor in Universities/Colleges/Institutions and only those Ph.D. degree holders are exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for appointment as Lecturer/Assistant Professor whose Ph.D. Degree has been awarded in accordance with the UGC (Minimum Standards and Procedure for awarding Ph.D. Degree) Regulations 2009. In addition NET/SLET/SET is not required for such Masters Degree Programme in disciplines for which NET/SLET /SET accredited test is not conducted.

It has come to the notice of UGC that in the recent past, some of the universities and institutions have advertised the post of Lecturers/Assistant Professor without any stipulation regarding mandatory requirement of NET/SLET/SET as required by UGC Regulations, notified on 11.7.2009 and 18.9.2010. It has also been noticed by UGC that universities/institutions are relying on the Resolutions of the Commission in the 471st and 472nd meeting of the UGC held on 12.8.2010 & 27.9.2010. It is hereby clarified and informed for the benefit of all concerned Universities/Institutions and other stake holders including prospective candidates that the above resolutions are merely the part of the process of deliberation by the Commission on the issue of minimum qualification for appointment and not a final decision required to be implemented. In fact, the Central Government vide its D.O. letter No.F.8-7/2010-U-I(A) dated 3rd November, 2010 did not concur with the said resolutions dated 12.8.2010 and 27.9.10 of the Commission.

The above provisions mandating fulfilment of the Regulations as contemplated under UGC Regulations for appointment to the post of Lecturer/Assistant Professor have an objective of ensuring maintaining the standards in teaching, examination and research in universities which is in national interest. Therefore, you are requested to ensure that no appointment is made unless a candidate fulfils the minimum eligibility/qualification prescribed by UGC for appointment to the post of Lecturer/Assistant Professor.

This may also be brought to the notice of institutions affiliated to your university for considering compliance on their part.

With regards,

Yours sincerely,

(Akhilesh Gupta)
16/11/12

Registrar
29/11

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx III—[kM4

PART III—Section 4

i`f/kdkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la 196] ubZ fnYyh] eaxyokj] ebZ 10] 2016@oS'kk[k 20] 1938

No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/VAISAKHA 20, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन), विनियम, 2016

संख्या. एफ0 1–2/2016 (पीएस/संशोधन).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (वर्ष 1956 का तृतीय) की धारा 26 की उप–धारा (I) तथा खंड (ई) एवं (जी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत विनियम, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताओं के विषय में एवं उच्च शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण हेतु उपाय विनियम, 2010 के सं''ोधन हेतु सृजित कर रहा है, नामतः–

2. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः

2.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

2.2 वे ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं संस्थान पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है तथा इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक संस्थान पर, संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित उन पर लागू होंगे जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुभाग 2 की धारा (एफ) के अन्तर्गत एवं इस अधिनियम 3 के अन्तर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय के परामर्श सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

2.3 ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय विनियम, 2010 (प्रधान विनियम 2010) में निम्न संशोधन किये गये हैं:–

यूजीसी मुख्य विनियम 2010 की निम्न धाराओं में मौजूदा प्रावधान	यूजीसी मुख्य विनियम 2010 की निम्न धाराओं में किये गये संशोधन
3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ 3.1.0 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना–यह बात उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित	**3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ** 3.1.0 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना–यह बात उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित

रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।	रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।
3.2.0 इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है–इन पदों का नाम है– सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिए	3.2.0 इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है–इन पदों का नाम है– सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिए
3.3.0 एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुसरण, किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।	3.3.0 एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुसरण, किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।
3.3.1 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी। बशर्ते कि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।	3.3.1 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी। बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें गा तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 अथवा बाद के विनियम जिन्हें यदि यूजीसी द्वारा अधिसूचित किया गया है के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।
	तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी: (क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो; (ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो; (ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

	(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;
	(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।
	उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा–अनिवार्य नहीं होगी–जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।	3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा–अनिवार्य नहीं होगी–जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।
3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं–उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो–उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।	3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं–उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो–उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।
3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है वे अनुमत होंगी–जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी–और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।	3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है–वे अनुमत होंगी–जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी–और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।
3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए–55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।	3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए–55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।
3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो–वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।	3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो–वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।
3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।	3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदे"ात्मक होगी।
3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।	3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।
	3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।

3.9.0	अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो रामयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।	

संख्या– 144 /XXIV(4)/2016-01(28)/201

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विषयः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम,2010 तथा अधिसूचना दिनांक 04 मई, 2016 के अनुसार संशोधन अधिनियम को लागू/अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक–डिग्री अर्थ/आठ(4) विविध–III/4009/2016–2017, दिनांक 16.06.2016 तथा पत्रांक–डिग्री सेवा/4531/2016–17, दिनांक 28.06.2016 में यू0जी0सी0 के पत्र संख्या–F.3-1/2009, दिनांक 28.06.2010 तथा अधिसूचना दिनांक 04 मई, 2016 में उल्लिखित नियम लागू/अंगीकार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1798/XXIV (7)/2008, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा यू0जी0सी0 के विनियम, 2010 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताओं के निर्धारण का प्राविधान यथावत् लागू किया जा चुका है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 04 मई, 2016 के माध्यम से संशोधित समस्त प्राविधान/नियम यथावत् लागू/अंगीकार करने की स्वीकृति के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम,2010 के नियम (5.1.6) में उल्लिखित प्राविधान/नियम निम्न शर्तों के अधीन लागू/अंगीकार करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिनियम, 2010 के नियम (5.1.6) में उल्लिखित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की समयावधि 05 वर्ष सम्बन्धी प्राविधान विनियम लागू होने की तिथि से मात्र अशासकीय महाविद्यालयों पर लागू होंगे तथा राजकीय महाविद्यालयों में प्रभावी स्थानान्तरण नीति प्राचार्यों के सम्बन्ध में यथावत् लागू रहेगी।

(ख) प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 के संशोधन अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार प्राविधान लागू हैं, जो यथावत् लागू रहेंगे।

4– प्रवक्ता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी पूर्व में निर्गत शासनादेशों को तदनुसार संशोधित/परिवर्तित समझा जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

सेवा। अर्थ

संख्या– 501 /XXIV(4)/2016-07(01)/2016 15/10/16

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 15 अक्टूबर, 2016

विषयः– अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–23/XXIV(4)/2016-07(01)/2016, दिनांक 27 जून, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं के आधार पर राजकीय कर्मचारियों की भाँति अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में उच्च स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27 जून, 2016 के प्रस्तर–3 को निम्नानुसार संशोधित समझा जायः–

क्र. सं.	शासनादेश संख्या–23/XXIV(4)/2016-07(01)/2016, दिनांक 27.06.2016 द्वारा की गयी व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1.	प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं, जिनके माध्यम से राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि की गयी, को राजकीय कर्मचारियों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु यथावत् लागू किया जाय।	प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं, जिनके माध्यम से राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि की गयी, को राजकीय कर्मचारियों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के **केवल गैर शैक्षिक पदों पर** नियुक्ति हेतु यथावत् लागू किया जाय एवं **शैक्षिक पदों** पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा **यू0जी0सी0 के मानकों** के अनुरूप रहेगी।

3. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27 जून, 2016 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शैक्षिक पदों पर लागू नहीं होगा। अतएव उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– (1)/XXIV(4)/2016-07(01)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूड़की

(हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) से सम्बद्ध)

प्राचार्या/असिस्टेन्ट प्रोफेसर/नैत्यिक लिपिक/पुस्तकालय लिपिक के पदों पर चयन हेतु

विवरणिका/निर्देशिका

अभ्यर्थी के लिये आवश्यक सूचनायें तथा अनुदेश

1. अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता की स्वहस्ताक्षरित एवं प्रमाणित फोटो प्रतियां क्रमांक के अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें तथा आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर अवश्य करें।
2. साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनिवार्यतः शैक्षणिक योग्यता के बारे में वांछित डिग्रियाँ, अंकतालिकाएं एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र और पत्रजात मूल रुप से प्रस्तुत करने होगें। डिग्री अप्राप्त होने की स्थिति में प्रोविजनल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
3. आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।
4. आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा।
5. यदि आप उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणी के पात्र है तो आप उत्तराखण्ड के सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा नियमानुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप पर निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र में पूरित आरक्षित वर्ग में कोई परिवर्तन बाद में स्वीकार्य नही होगा।
6. उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी पिता पक्ष का ही बना हुआ जाति प्रमाण–पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें अन्यथा उन्हें सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। पति पक्ष का बना हुआ जाति प्रमाण–पत्र कदापि मान्य नही हैं।
7. विकलांग वर्ग के सुपात्रता के सम्बन्ध में किसी विवाद की स्थिति में चयन समिति द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
8. यदि अभ्यर्थी ने किसी ऐसे विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की है जिसकी डिग्री में शोध का शीर्षक एवं विषय अंकित नही होता है तो ऐसे अभ्यर्थी शोध शीर्षक एवं विषय को संबधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव से प्रमाणित करवाकर अनिवार्य रुप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
9. आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त शैक्षणिक उपलब्धियां एवं अनुभव (जिनके स्पष्ट प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न है) के आधार पर ही आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा। आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त किसी भी शैक्षिक, अर्हता प्रदायी अथवा अनुभव संबन्धी उपलब्धि को संज्ञान में नही लिया जायेगा।
10. किसी अभ्यर्थी को यह पुष्ट होने पर कि उसने प्रतिरुपण किया है या जाली प्रमाण पत्र या अभिलेख प्रस्तुत किया है या जानबूझ कर गलत सूचना दी है या अनुचित साधन अपनाया है या तथ्यों को छिपाया है, किसी भी स्तर पर अपात्र घोषित कर दिया जायेगा तथा नियुक्ति प्राप्त कर लेने की स्थिति में भी उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
11. आवेदन पत्र अनिवार्यतः पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से ही भेजे। साधारण डाक अथवा व्यक्तिगत रुप से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
12. पृष्ठ 1 पर अंकित प्राचार्या/असि0 प्रोफेसर आवेदन शुल्क (अनु0 जाति–रु0 800/– अन्य– रु0 1100/–), नैत्यिक लिपिक/पुस्तकालय लिपिक आवेदन शुल्क (अनु0 जाति–रु0 200/– अन्य– रु0 300/–) का बैंक ड्राफ्ट *सचिव, श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुडकी* के नाम संलग्न करें।
13. एक से अधिक पदों/विषयों के लिये आवेदन–पत्र भेजने के इच्छुक अभ्यर्थियों को पृथक–पृथक आवेदन भेजना होगा। किसी भी दशा में एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही लिफाफे में न भेजें।
14. आवेदन–पत्र प्राप्त की अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
15. किसी भी रुप में सिफारिश करने या कराने पर अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा।
16. किसी नियम का उल्लंघन उसकी अनभिज्ञता का बहाना नहीं मानी जायेगी।
17. आवेदन–पत्र पूरित करके मूल रुप से प्रेषित किया जाय। आवेदन पत्र की छायाप्रति किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी। तथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
18. आवेदन पत्र के साथ प्रपत्रों एवं अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य प्रपत्र व अभिलेख जो बाद में प्रेषित किये जायेंगे वे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
19. किसी रुप में अपूर्ण पाये गये आवेदन–पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संबंधित अभ्यर्थी का ही होगा।
20. आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर भेजें:– *सचिव, श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,रुड़की– 247667, उत्तराखण्ड।*

21. अध्यापन अनुभव के लिये नियुक्ति का स्वरुप तथा स्रोत, वेतनमान, कुल वेतन तथा अवधि का स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण अधिकारी(रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रबंधक) द्वारा प्रमाणित करवाकर संलग्न करें। रिसर्च एसोसिएट अपने अध्यापन अनुभव अवधि को कुलसचिव से ही सत्यापित करवाएं। यदि अभ्यर्थी स्थायी प्रवक्ता है तो स्थायीकरण संबधित समस्त अभिलेख (शासन/निदेशालय/महाविद्यालय स्तर के) संलग्न करें।
22. यदि किसी अभ्यर्थी ने नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो परन्तु उक्त प्रमाण –पत्र उसे अप्राप्त है, इस दशा में ऐसे अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के प्रवेश–पत्र की छाया प्रति एवं प्रकाशित परिणाम की छायाप्रति अथवा प्रोविजनल प्रमाण–पत्र अनिवार्य रुप से संलग्न करें अन्यथा उनका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
23. अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय नेट/जे.आर.एफ./(यू.जी.सी.द्वारा मान्य) का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त के अभाव में वे साक्षात्कार में प्रवेश से वंचित होंगे जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा।
24. किन्ही दो उर्त्तीण परीक्षाओं के मध्य निर्धारित समयावधि से भिन्न अन्तराल की स्थिति स्पष्टीकरण देते हुए नोटरी का शपथ पत्र संलग्न करें।
25. सेवारत अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र को नियोक्ता द्वारा अग्रसारित कराकर ही प्रेषित करें। अग्रसारण में विशेष कठिनाई की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
26. साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने की दशा में किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
27. समस्त संलग्नकों को क्रमांक प्रदान करें तथा अंतिम संलग्नक पर क्रमांक सहित आवेदन–पत्र के साथ कुल संलग्नकों की संख्या को अंकों तथा शब्दों में अवश्यक अंकित करें।
28. जिन अभ्यार्थीयों ने पूर्व में असि0 प्रोफेसर/नैत्यिक लिपिक/पुस्तकालय लिपिक के पदों हेतु आवेदन किया था उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

सचिव, प्रबन्ध समिति
श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुड़की– 247667, उत्तराखण्ड

आवेदन पत्र का क्रमांक:.....

दूरभाष : 01332–262705

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रूड़की–247 667 (हरिद्वार–उत्तराखण्ड)

(हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) से सम्बद्ध)

प्राचार्या/असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद हेतु आवेदन पत्र

(अभ्यर्थी आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्यतः स्वहस्तलिपि में ही पूरित करें)

आवेदन शुल्क : रु0 ड्राफ्ट सं0 .....

बैंक का नाम व स्थान .....

पासपोर्ट फोटो
(स्वहस्ताक्षरित)

वर्ग :– अनारक्षित (सामान्य)/अनुसूचित जाति

(कृप्या प्रमाण पत्र संलग्न करें)

पद का नाम –

विभाग का नाम – .....

1.1 अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में):.....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):.....

1.2 पिता/माता का नाम :.....

पति का नाम : .....

1.3 पत्र व्यवहार का पूरा पता पिन कोड सहितः.....

.....

ई–मेल.....दूरभाष/मोबाइल नं0.....

1.4 स्थायी पता पिन कोड सहित:.....

.....

.....

1.5 निवास का मूल प्रदेश .....

1.6 जन्म तिथि दिनांक | | | माह | | | वर्ष | | | | |

1.7 वैवाहिक स्तर : महिला..... विवाहित..... अविवाहित.....

नोट : 1. जो आपके लिए उपयुक्त नहीं हो उसे काट दें।

2. अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें तथा आवेदन पत्र पूरित कर संलग्नकों सहित एक ही लिफाफे में प्रेषित करें।

2.0 शैक्षणिक उपलब्धियाँ :

2.1 शैक्षणिक योग्यतांए :

उत्तीर्ण परीक्षायें	बोर्ड / वि0वि0 / संस्था	परीक्षा वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	संलग्नक क्रमांक
1. हाईस्कूल								
2. इण्टरमीडिएट								
3. स्नातक प्रथम								
द्वितीय								
तृतीय								
योग								
4. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध								
उत्तरार्द्ध								
योग								
5. पी–एच0डी0 / डी0फिल0								
6. NET/SLET/SET								
7. अन्य								

विशेष :– (क) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के अंकपत्रों के साथ स्नातक (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय) तथा स्नातकोत्तर (प्रथम, द्वितीय) स्तर की परीक्षाओं के वर्षवार / सेमेस्टर वार अंक पत्रों की प्रमाणित प्रतियों को स्वहस्ताक्षर सहित अनिवार्यतः संलग्न करें अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जाएगा तथा निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) यदि अध्ययन अवधि में अन्तराल है तो सकारण स्पष्ट करें तथा इस आशय का शपथ–पत्र (नोटरी का) दें।

(ग) यदि किसी परीक्षा में श्रेणी सुधार अथवा पूर्व अर्जित सर्टिफिकेट / डिग्री के समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की गयी हो तो ऐसी सभी परीक्षाओं तथा पूर्व अर्जित परीक्षाओं की सर्टीफिकेट / डिग्री तथा अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतियां अवश्य संलग्न करें अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जायेगा। यदि इन परीक्षाओं की अंकतालिकाएं अनुपलब्ध हो तो इनमें प्राप्तांक / पूर्णांक का सम्पूर्ण विवरण कुलसचिव से प्रमाणित करवाकर अवश्य संलग्न करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है।

2.2 स्कालरशिप / फेलोशिप :

स्कालरशिप / फेलोशिप का नाम / स्तर	निर्गत करने वाली संस्था का नाम	स्वीकृति पत्र सन्दर्भ	अवधि	संलग्न्क क्रमांक
(क) राष्ट्रीय				
(ख) राज्य स्तरीय				
(ग) महाविद्यालय / वि.वि.				

2.3 प्रकाशन (रिक्त स्थान में संख्या लिखें) संलग्न क्रमांक

(क) शोध निबन्ध / पत्र (मान्यता प्राप्त शोध पत्रिकाओं में).....

(ख) शोध निबन्ध / पत्र (सम्मेलन / गोष्ठी / कार्यशाला / सेमिनार में प्रस्तुत) .....

(ग) पुस्तकें 1) पाठ्यक्रम सम्बन्धी.....

2) शोध सम्बन्धी .....

3) अन्य .....

घ) अन्य प्रकाशित कार्य .....

(अतिरिक्त पृष्ठों का प्रयोग कर सभी प्रकाशित कृतियों में सहलेखक, वर्ष, संख्या शोध पत्रिका का नाम, प्रकाशन का नाम आदि विवरण संलग्न करें)

2.4 यदि शैक्षिक उन्नयन हेतु विदेश यात्रा की हो तो विवरण दें (अतिरिक्त पृष्ठों का प्रयोग करें).....

3.0 अध्यापन अनुभव :

क्र0 सं0	पदनाम एवं प्रकार	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम	अवधि (कब से कब तक		कुल अवधि वर्ष / माह		वेतनक्रम	मूल वेतन	कुल वेतन	अनुभव प्रमाण पत्र का क्रमांक

नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि तथा अनुभव की अवधि का प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।

4.0 शोध कार्य का अनुभव : .....

5.0 आवेदक द्वारा घोषणा (जो उपयुक्त न हो उसे काट दें)।

5.1 मैं यह घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ स्वयं मेरे द्वारा अंकित की गई हैं। जो तथ्यात्मक, सत्य एवं पूर्ण हैं। मै ओवदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ एवं संलग्नों हेतु स्वयं उत्तरदायी हूँ।

5.2 मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में अंकित उर्त्तीण परीक्षाओं के अतिरिक्त मैंने अन्य कोई परीक्षायें जो उक्त परीक्षाओं के समतुल्य/समकक्ष हैं, उर्त्तीण नहीं की है।

5.3 मै यह घोषणा करती हूँ कि मुझे किसी अपराध में न्यायालय/शिक्षण संस्था द्वारा दण्डित किया गया है/ नहीं किया गया हैं और किसी भी नियुक्ति में आवेदन करने हेतु प्रतिबंधित किया गया है/नहीं किया गया है तथा किसी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला मेरे विरुद्ध लम्बित है/लम्बित नही है।

5.4 मैने विज्ञापन तथा आवेदन पत्र में अंकित सभी अनुदेश भली–भाँति पढ़कर समझ लिये है और मै उनमें अंकित सभी शर्त/प्रतिबन्ध स्वीकार करती हूँ।

5.5 मैं यह भी वचन देती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित किसी प्रविष्ट के गलत पायें जाने पर अभ्यर्थन/आवेदन पत्र, चयन के पूर्व, चयन प्रक्रिया के मध्य अथवा चयनोपरान्त निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय के सचिव प्रबन्धतंत्र को होगा इन सभी अथवा किसी एक कार्यवाही के लिए मैं महाविद्यालय के सचिव, प्रबन्धतंत्र से किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करुँगी।

5.6 मैंने अपने फोटो तथा संलग्नक सभी प्रमाण पत्रों को सतिथि हस्ताक्षर कर दिये हैं।

दिनांक

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान :

नाम .....

---

*नियोक्ता/अग्रसारण अधिकारी द्वारा
संस्तुति/अनापत्ति

हस्ताक्षर
(नियोक्ता/अग्रसारण अधिकारी)
नाम/मोहर सहित

नोट :– * 1. **केवल उन अभ्यार्थियों के लिए जो पूर्व से सेवारत है।**

2. ऐसे अभ्यार्थी जो अपने आवेदन प्रपत्र को अग्रसारित कराकर नहीं प्रेषित करते, उन्हें नियोक्ता/अग्रसारण अधिकारी द्वारा अनापत्ति एवं संस्तुति साक्षात्कार के समय अवश्य प्रस्तुत करनी होगी ।

3. सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सेवारत प्रवक्ताओं के लिए सचिव, प्रबन्धतंत्र एवं प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के लिए निदेशक उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के प्रवक्ताओं के लिए कुलसचिव द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगें। अन्य अभ्यार्थियों के लिए उनके नियोक्ता का अनापत्ति एवं अग्रसारण प्रमाण पत्र मान्य होगा।

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रूड़की–247667 (हरिद्वार–उत्तराखण्ड)

(हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल से सम्बद्ध)

नैत्यिक लिपिक/पुस्तकालय लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र

(अभ्यर्थी आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्यतः स्वहस्तलिपि में ही पूरित करें)

पासपोर्ट फोटो
(स्वहस्ताक्षरित)

पद जिसके लिए आवेदन किया.....

बैंक ड्राफ्ट संख्या.....

धनराशि.....

1. अभ्यार्थी का नाम (हिन्दी में):–.....

   अंग्रेजी में (बडे शब्दों में):–.....

2. पिता का नामः–.....

3. माता का नामः–.....

4. पताः–.....

5. जन्म तिथिः–.....

6. जातिः–.....

7. शैक्षिक योग्यता –

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
स्नातकोत्तर						
अन्य						

8. अनुभवः–.....

9. कम्प्यूटर ज्ञानः–.....

10. जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग).....

11. निवास का मूल प्रदेशः–.....

12. संलग्नक/सन्दर्भ दो व्यक्तियों के नाम,पद एवं पता जो तीन वर्षो से आपको भली भॉति जानते हों

    1. नाम.....
       पद/व्यवसाय.....
       पता.....

    2. नाम.....
       पद/व्यवसाय.....
       पता.....

13. चरित्र प्रमाण–पत्र एवं निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम .....

14. सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण संख्या.....

आवेदक द्वारा घोषणा

मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां स्वयं मेरे द्वारा अंकित की गई है और वे तथ्यात्मक सत्य एवं पूर्ण हैं और मैं आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टयों हेतु स्वयं पूर्ण उत्तरदायी हूँ ।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी अपराध में न्यायालय द्वारा/शिक्षा संस्थाओं द्वारा दंड़ित किया गया हैं/नहीं किया गया हैं और किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक मामला मेरे विरूद्व लंबित नहीं हैं ।

मैंने विज्ञापन तथा आवेदन पत्र में अंकित सभी अनुदेश भली भांति पढ़ कर समझ लिए हैं और मैं उनमें अंकित सभी शर्त/प्रतिबन्ध स्वीकार करता/करती हूँ ।

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित की गयी प्रविष्टयों के गलत पाये जाने पर महाविद्यालय को मेरा अभ्यर्थन/चयन/आवेदन पत्र चयन के पूर्व प्रक्रिया के मघ्य अथवा चयन के बाद में निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा और महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को गलत प्रविष्टियों के आधार पर प्राप्त नियुक्ति को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होंगा तथा इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा भावी चयनों से मुझे प्रतिवारित किया जा सकता हैं इन सभी अथवा किसी एक कार्यवाही के लिये मैं महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र से किसी क्षतिपूर्ति की दावेदार नही रहूँगा/रहूँगी ।

स्थानः–

दिनांकः–

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम.....